(37)

न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 413/18

सरकार बनाम श्री: रामोतार, श्रीमन, रतीराम पुत्र जयराम जाति कुम्हार

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 20/3/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामोतार, श्रीमन, रतीराम पुत्र श्री जयराम जाति कुम्हार निवासी गाजीपुर तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रबि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम गाजीपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 568 कुल रकबा 0.04 किस्म बारानी-I भूमि से 0.01 रकबा पर अनाधिकृत रूप से बोर कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.08 का 50 गुना 3.5/- राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार

महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/घ के पेज नं0 82 पर
वर्ष 2017-18 में फैसला/फसल नीलामी
की राशि तादादी रुपये 3.5/- पै0
की जमा कायमी की गई
दिनांक :20/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार,
तहसील-महवा